न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री चन्द्रभानसिंह भाटी, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 28/2014
GCMS Case No. 2014/00168

सायल :-	बनाम	गैरसायलः-
सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक पाली		छैल सिंह पुत्र भवंर सिंह राजपुत निवासी पीपाडा पुलिस थाना आ.कालू जिला पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(1)/3/7 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :
सायल की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी पाली

:: निर्णय ::

दिनांक :- 26.08.22

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 09.04.2014 को गैरसायल श्री छैल सिंह पुत्र भवंर सिंह राजपुत निवासी पीपाडा पुलिस थाना आ.कालू जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(1)/3/7 के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना आन्नदपुर कालू क्षैत्र का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ 2013 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में कुल 2 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। सभी प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर सजा से दण्डित किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.स.	मु0न0	धारा	नाम न्यायालय	निर्णय
1	22/2013	19/54 आब.अधि	एसीजेएम कोर्ट जैतारण	29.05.2013 को एसीजेएम कोर्ट जैतारण से आब.अधि. के अपराध में दोषसिद्ध करार परीवीक्षा अधि0 की धारा 5 के तहत 500 रूपये जुर्माना
2	84/2013	19/54 आब.अधि	एसीजेएम कोर्ट जैतारण	13.11.2013 को एसीजेएम कोर्ट जैतारण से आब.अधि. के अपराध में दोषसिद्ध करार परीवीक्षा अधि0 की धारा 5 के तहत 500 रूपये जुर्माना

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल छैल सिंह पुत्र भवंर सिंह राजपुत निवासी पीपाडा पुलिस थाना आ. कालू जिला पाली शराब तस्करी के धंधे में लिप्त है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृति में लिप्त है। जिसके आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है। गैर सायल के कार्यकलापों से लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2(ख)(1)/3/7 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई।

ए0पी0पी0 की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना आन्नदपुर कालु का अव्वल दर्जे का शराब का तस्कर है, जिससे विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैर सायल के कार्यकलापों से लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जैतारण के मुकदमा नम्बर 197/2013 में पारित निर्णय दिनांक 29.05.2013 को आदेश पारित करते हुए राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 500/– रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया। इसी प्रकार मुकदमा नम्बर 648/2013 में पारित निर्णय दिनांक 13.11.2013 को आदेश पारित करते हुए राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 200/– रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(3) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल छैल सिंह पुत्र भवंर सिंह राजपुत निवासी पीपाडा पुलिस थाना आ.कालू जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत एक माह की अवधि के लिए पुलिस थाना आन्नदपुर कालु से निष्काषित कर पुलिस थाना बिलाडा जिला जोधपुर के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 10.09.22 से 30 दिन के लिये पुलिस थाना बिलाडा जिला जोधपुर में सप्ताह में एक बार अर्थात 30 दिन में चार बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी बिलाडा जिला जोधपुर गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल छैलसिंह इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना आन्नदपुर कालु, गैरसायल छैलसिंह को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना बिलाडा जिला जोधपुर की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी बिलाडा जिला जोधपुर उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी आन्नदपुर कालु अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना आन्नदपुर कालु एवं थानाधिकारी बिलाडा जिला जोधपुर को भिजवाई जावे।

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 26.08.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)